उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण अनुभाग-1

संख्या-15/2018/1216/55-पर्या-1-2018-98(रिट)/2017 टी0सी0-1

लखनऊ : दिनांक : 16 अक्टूबर, 2018

कार्यालय ज्ञाप

भारत सरकार द्वारा ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 एवं इससे संबंधित नियमावली द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये ध्वनि प्रदूषण के विनियमन एवं नियंत्रण हेतु ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 प्रख्यापित किए गये हैं जो राजपत्र में प्रकाशन की तिथि दिनांक 14-02-2000 से प्रवृत्त हो गए हैं। उक्त नियम के नियम-3(2) के अंतर्गत प्राविधानित है कि "राज्य सरकार, विभिन्न क्षेत्रों के लिए ध्वनि मानकों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए औदयोगिक, वाणिज्यिक, आवासीय या शांत क्षेत्रों/परिक्षेत्रों में क्षेत्रों" को प्रवर्गीकृत करेगी।

2- ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के नियम-2(ग) के अंतर्गत् सम्पूर्ण उ0प्र0 में ध्वनि नियम, 2000 की अनुसूची में निर्धारित ध्वनि के संबंध में परिवेशीय वायु क्वालिटी मानक क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए औदयोगिक, वाणिज्यिक एवं आवासीय क्षेत्रों को निम्नानुसार प्रवर्गीकृत किया जाता है-

"ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 यथासंशोधित के नियम-3(2) के अंतर्गत् उ0प्र0 राज्य में ऐसे समस्त क्षेत्रों, जिनके लिये महायोजना (मास्टर प्लान) प्रभावी है, के अंतर्गत महायोजना में निर्धारित औदयोगिक, वाणिज्यिक एवं आवासीय क्षेत्रों के प्रवर्गीकरण के अनुरूप ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 यथासंशोधित की अनुसूची में निर्धारित परिवेशीय वायु क्वालिटी मानक लागू होंगे। अन्य क्षेत्र, जिनमें महायोजना लागू नहीं है, में ध्वनि नियम, 2000 यथासंशोधित की अनुसूची द्वारा निर्धारित परिवेशीय वायु क्वालिटी मानक, क्षेत्र में निर्धारित/अनुमन्य भू-प्रयोग के अनुरूप लागू होंगें।"

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-15/2018/1216(1)/55-पर्या-1-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।

3- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।

4- समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक।

5- निदेशक, पर्यावरण, उ0प्र0।

6- सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(डॉ0 रूपेश कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।